UPMH010031462026

**न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–01, महराजगंज।**
**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–969/2026**

1– असगर अली उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र मुन्सफी
2– आजम उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र असगर अली
3– साजिदा उर्फ साजरा उम्र करीब 26 वर्ष पुत्री असगर अली
साकिन–चमईनिहा, थाना–कोल्हुई, जनपद–महराजगंज

––––––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

**बनाम**

उ०प्र० सरकार

––––––––विपक्षी

मु0 अ 0 सं0– 148/2025
धारा– 115(2), 351(3), 352,
117(2), 191(2), 110,333 B.N.S
थाना– कोल्हुई, जनपद– महराजगंज

21.07.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण असगर अली, आजम तथा साजिदा उर्फ साजरा द्वारा मु0 अ 0 सं0–148/2025, धारा–115(2), 351(3), 352, 117(2), 191(2), 110,333 B.N.S, थाना– कोल्हुई, जनपद महराजगंज में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी समसुद्दीन पुत्र सफदर हुसैन खान शौर सराबा सुनकर घर से बाहर निकला तो विपक्षी असगर अली पुत्र मुंसफी खान, सरफद्दीन, आजम, उमर, हाजरा, साजिदा, साबिया पुत्रगण असगर अली व रहिसुननिशा पत्नी असगर अली निवासी उपरोक्त द्वारा मिलकर उसके पिता सफदर हुसैन खान को मार पीट रहे थे उनको बचाने वह पहुंचा तो जान से मारने की नियत से उसे, उसके पिता व अबदुल्लाह को मार कर सर तोड़ दिये बाद में उसका छोटा भाई सलामुद्दीन आया तो उसको भी लाठी डण्डा से व लोहे की राड से मारने लगे छोटे भाई का दाहिना कंधा टुट गया है एवं और भी चोटे आई है। वादी के पिता सफदर व अबदुल्लाह को सर में चोट आई जिससे वे दोनो लोग बेहोस हो गये है। जिनको 108 अमबुलेंस लेकर अस्पताल ले गई है। विपक्षीगण द्वारा घर के अन्दर घुस कर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए ईटो से वार करने लगे। उसकी माँ व पत्नी किसी तरीके से घर में चली गई। उक्त घटना आज दिनांक 08.06.2025 समय करीब 05:30 बजे की है।

4– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण बिल्कुल बेकसुर है मात्र रंजिसन उक्त मुकदमें में फंसा दिये गये है। प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप बिल्कुल निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा को गोलबन्द होकर जान से मारने की नियत से मारा पीटा नहीं गया है। पुरानी रंजिश के वजह से महज

हैरान व परेशान करने के गरज से प्रार्थीगण के घर के सभी लोगों को उक्त मुकदमें में अभियुक्त बना दिया गया है जबकि उक्त घटना से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के घर वालो से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण के परिवार वालो को वादी मुकदमा के द्वारा भी मारा पीटा गया है जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार वालो को भी प्राणघातक चोटे आयी है तथा वादी मुकदमा के विरूद्ध मु0अ0सं0-147/2025, धारा-115 (2),352,351 (3) बी०एन०एस० थाना-कोल्हुई जनपद-महराजगंज पंजीकृत है। उक्त मुकदमा से बचने के लिए राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट आनन-फानन में दर्ज कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में काफी विरोधाभाष है जिससे घटना पूरी तरह से संदिग्ध प्रतीत हो रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गई है जिसका कोई युक्ति कारण नहीं बताया गया। वादी मुकदमा व मुल्जिमान सगे भाई है तथा पुलिस विभाग में कार्यरत है जो अपने विभागीय सहयोग लेते हुए एक फर्जी कहानी बनाकर उक्त मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है जिससे प्रार्थीगण का दूर-दूर तक कोई वास्तविकता नहीं है। तथाकथित घटना में आयी चोटे सभी सामान्य प्रवृति की है तथा कोई भी चोट प्राणघातक चोट नहीं है तथा डॉक्टर द्वारा भी अपने बयान में यही बात कही गयी है तथा 110 बी०एन०एस० के बावत कोई मेडिकल इंजरी पत्रावली में संलग्न नहीं है। प्रार्थीगण का कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थीगण कानून पसन्द महिला है, अग्रिम जमानत के पश्चात प्रार्थीगण के न्याय से भागने या विदेश भागने या किसी अन्य प्रकार का न्याय का दुरूपयोग करने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थीगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को माननीय न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने वास्ते प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षः कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन नहीं देगें। प्रार्थीगण का माननीय न्यायालय में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा प्रार्थीगण का कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में न तो दाखिल है न तो लंम्बित है और न ही निस्तारित है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों व निदेशों का अनुपालन कर अन्वेषण व न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करते रहेंगे। थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा प्रार्थीगण को गिरफ्तार करने के लिए प्रार्थीगण के आवास पर निरन्तर दंबिश दी जा रही है जिससे प्रार्थीगण को आशंका है कि थाना कोल्हुई की पुलिस द्वारा प्रार्थीगण को गिरफ्तार कर प्रार्थीगण की दैहिक स्वतन्त्रा को बाधित कर प्रार्थीगण की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है और प्रार्थना की गयी है कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

6– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवीनतम विधि व्यवस्था **सुमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** निर्णय दिनांकित 09.02.2026 में यह दिशा निर्देश दिया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को अभियुक्त पर आरोपित अपराध एवं उसकी गंभीरता तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संदर्भ में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर लेना चाहिए।

8– माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य व अन्य (2020)5 (एस०एस०सी०) (1) संवैधानिक पीठ** में यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत एक आपवादित अधिकार है जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिये और यह कोई निर्वाद अधिकार नहीं है।

9– माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **डाक्टर नरेश कुमार मंगला बनाम**

**श्रीमती अनीता अग्रवाल व अन्य ए०आई०आर० 2021 (एस०सी०) 277 (तीन जज खण्डपीठ)** में यह सुस्पष्ट मत व्यक्त किया है किए अग्रिम जमानत केवल उन आपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार की जा सकती है, जहाँ न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह समाधान है कि, आवेदक को कथित अपराध में झूठा फॅसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी इस विधि व्यवस्था में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व नियमित जमानत प्रार्थना पत्र के अन्तर को स्पष्ट करते हुए यह भी मत व्यक्त किया है कि, यदि आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप न्याय के उददेश्य को अग्रसारित करने वाले दर्शित न होकर आवेदक/अभियुक्त को अपमानित व आहत करने के उददेश्य से लगाया जाना दर्शित होता होए तो उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

10– **सुमिथा प्रदीप बनाम अरूण कुमार सी० के० एवं अन्य क्रिमिनल अपील संख्या– 1034/2022** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

(i) In many anticipatory bail matters, we have noticed one common argument being canvassed that no custodial interrogation is required and, therefore, anticipatory bail may be granted. "There appears to be a serious misconception of law that if no case for custodial interrogation is made out by the prosecution, then that alone would be a good ground to grant anticipatory bail. Custodial interrogation can be one of the relevant aspects to be considered along with other grounds while deciding an application seeking anticipatory bail. There may be many cases in which the custodial interrogation of the accused may not be required, but that does not mean that the prima facie case against the accused should be ignored or overlooked and he should be granted anticipatory bail.

(ii) The first and foremost thing that the court hearing an anticipatory bail application should consider is the prima facie case put up against the accused. Thereafter, the nature of the offence should be looked into along with the severity of the punishement. Custodial interrogation can be one of the grounds to decline custodial interrogation. However, even if custodial interrogation is not required or necessitated, by itself, cannot be a ground to grant anticipatory bail.

11– अग्रिम जमानत देने के संबंध में न्यायालय को अन्य बातों के अतिरिक्त अभियोग की प्रकृति और गंभीरता व इस सम्भाव्यता पर ध्यान देना चाहिए कि, आवेदक द्वारा अभियुक्त को ऐसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

12– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर आपसी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा तथा उसके परिवार के लोगों को गाली गुप्ता देते हुए बुरी तरह से मारने पीटने व प्राणघातक चोटें कारित करने का आक्षेप है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि "चिकित्सक ने अपने बयान में चोटों को प्राणघातक नहीं बताया है। अतः अभियुक्तगणों को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत होगा।" अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगणों द्वारा गंभीर अपराध किया गया तथा सह अभियुक्तगणों की अग्रिम जमानत पूर्व में निरस्त है। अभियुक्तगणओं द्वारा कारित चोटें गम्भीर प्रकृति की है और सर जैसे संवेदनशील भाग पर कारित की गयी हैं। दोनों मजरुबों को गम्भीर चोटें आयी हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा विचारण न्यायालय में प्राप्त नोटिस का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट भी जारी किया गया है। सहअभियुक्तगण रहीशुननिशा, साबिया तथा हाजरा खातून की अग्रिम जमानत मेरे पूर्व के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.06.2026 को निरस्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगणों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना विधिसंगत नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मेरी राय में इस तरह के गंभीर अपराधों के मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

13– आवेदकगण/अभियुक्तगण **असगर अली, आजम तथा साजिदा उर्फ साजरा** द्वारा मु0 अ 0 सं0–148/2025, धारा–115(2), 351(3), 352, 117(2), 191(2), 110, 333 B.N.S, थाना– कोल्हुई, जनपद–महराजगंज के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

21.07.2026

(शैलेन्द्र वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–1, महराजगंज
आई 0 डी0 संख्या–यू0 पी0 6426